सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 13 फाल्गुन, 1942 (श०) / 04 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 07

(1)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	01
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	04
(3)	सहकारिता विभाग	02
	कुल योग --	07

नियुक्ति करना

24. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में राजस्व निरीक्षकों का स्वीकृत पद 365 है, जिसके विरुद्ध 75 प्रतिशत राजस्व निरीक्षकों के पद रिक्त रहने के कारण राज्य के लोगों का जमीन संबंधी कार्य कराने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार स्वीकृत पद के अनुरूप राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति करते हुये पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

25. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित शीर्षक "बसूली बंद तो संसाधन की कमी का रोना" के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 में बुढको द्वारा नीदरलैंड की एक कम्पनी को पटना शहर के 97 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का काम दिया गया था, जिसपर लगभग 24.95 करोड़ के सरकारी राजस्व का व्यय हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2 साल में ही 14 सिग्नलों को उखाड़ दिया गया और शेष स्थल पर देख-रेख के अभाव में सिग्नल बंद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लगभग 25 करोड़ रुपया के सरकारी राजस्व के अपव्यय का क्या औचित्य है ?

दोषी पर कार्रवाई

26. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 फरवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "नगर निगम की 1200 किलो मीटर सड़कों पर चल रहा काम, खुदाई होने के बाद हो गये जहाँ-तहाँ गड्ढे, बढ़ी परेशानी" के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र के राजेन्द्र नगर, ओल्ड बाईपास सहित अन्य मुहल्लों में नमामि गंगे, गैस पाइप लाइन इत्यादि शहर संवारने के नाम पर चल रही योजनाओं के तहत करीब 1200 किलो मीटर सड़कों में खुदाई कर कार्य समाप्ति के उपरान्त गड्ढे में तब्दील हो जाने से शहरवासियों को आवागमन में कठिनाई के साथ-साथ आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित नगर निगम के 1200 किलो मीटर सड़कों की मरम्मती कराने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल से आच्छादन कराना

27. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्णय लिया था कि राज्य के सभी नगर निकायों के सभी घरों को 31 मार्च, 2020 तक नल के जल से आच्छादन किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि 31 जनवरी, 2021 तक राज्य के सभी नगर निकायों के सभी घरों में लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 52 प्रतिशत जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णियाँ एवं मुंगेर निगमों में क्रमशः 45 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत एवं 0 प्रतिशत घरों में ही नल के जल का आच्छादन हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी नगर निकायों के सभी घरों को नल के जल से आच्छादन करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बोनस दिलाना

28. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में राज्य में सरकार द्वारा किसानों के धान खरीदारी पर प्रति क्वींटल ढाई सौ रुपये बोनस न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2014 के बाद से राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस धान की खरीदारी पर नहीं दिया गया है, जबकि झारखंड में किसानों को धान के लिये रुपया 130 बोनस दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में बोनस देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) राज्य में 2014 के बाद बोनस नहीं दिया गया है । झारखंड के संबंध में अधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं है ।

(3) खरीफ विपणन मौसम 2014-15 के पश्चात् भारत सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि की गयी है एवं खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य धान साधारण 1,868 रुपये प्रति क्वींटल तथा धान ग्रेड 'ए' 1,888 रुपये प्रति क्वींटल निर्धारित की गयी थी । जिसके आलोक में 35.5 लाख मे0 टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है ।

राज्य सरकार के स्तर पर खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में किसानों से धान अधिप्राप्ति की अन्तिम तिथि 21 फरवरी, 2021 समाप्त हो चुकी है और राज्य सरकार के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस की राशि भुगतान का कोई मामला लम्बित नहीं है ।

औचित्य बतलाना

29. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोध गया)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित शीर्षक "अबतक नहीं लगाई गयी एक लाख स्ट्रीट लाइटें" के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में शहरी नगर निकायों को जगमग करने की योजनान्तर्गत राज्य के 142 शहरी निकायों में स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य जून, 2017 में प्रारंभ किया गया था, जिसे दो वर्षों में पूर्ण करना था, परंतु अबतक मात्र 70 शहरी निकायों में ही स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य पूरा किया गया है, शेष निकायों में अभीतक स्ट्रीट लाईट नहीं लगाया गया है तथा लगाये गये स्ट्रीट लाइटों में लगभग 40 प्रतिशत से भी अधिक लाइटें खराब हो गई है, यदि हाँ, तो शेष बचे निकायों में स्ट्रीट लाईट नहीं लगाने का क्या औचित्य है तथा 40 प्रतिशत से भी अधिक स्ट्रीट लाइटों को कबतक दुरुस्त करने का विचार सरकार रखती है ?

योजना का लाभ दिलाना

30. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुंठपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 14 फरवरी, 2020 को प्रकाशित शीर्षक "फसल सहायता योजना में नौ फसलों के लिये निबंधन" के आलोक में क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना में नौ फसलों ईख, गेहूँ, मक्का, चना, मसूर, अरहर, राई, सरसों, प्याज, आलू को शामिल किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 20 फीसदी फसल की क्षति होने पर किसानों को साढ़े सात हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तथा दो हेक्टेयर नुकसान होने पर 10 हजार रुपये तक सहायता राशि देने का प्रावधान है ;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020 में बाढ़ से राज्य के 10 जिले पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, बेगूसराय, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर एवं अन्य जिलों में कुल 35237.63 लाख हेक्टर गन्ना फसल की क्षति हुई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर किसानों को राज्य फसल क्षति योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 4 मार्च, 2021 (ई0) ।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

वि0स0मु0, 118(एल0ए0), 2020-21-डी0टी0पी0-550